निगरानी नगरपालिका प्रकरण संख्या 03/2014(RCMS No. 2014/00008)
अनवानी विनोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति कुम्हार, आयु 30 वर्ष निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1.नगर परिषद्, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त।, 2. धर्मवीर सहगल पुत्र श्री रामदत्त सहगल निवासी 12 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, 3. अशोक कुमार सहगल पुत्र श्री रामदत्त सहगल निवासी सहगल फर्नीचर हाऊस, लक्कड़ मण्डी, श्रीगंगानगर, 4. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री मनीराम, जाति जाट निवासी प्राईम होटल, गऊशाला रोड़, मकान नम्बर 5, सुखाडिया सर्किल बस स्टैण्ड के पास, श्रीगंगागनर , 5. भीम सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति जाट जाट निवासी प्राईम होटल, गऊशाला रोड़, मकान नम्बर 5, सुखाडिया सर्किल बस स्टैण्ड के पास, श्रीगंगागनर, 6. प्रेम कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट, निवासी प्राईम होटल, गऊशाला रोड़, मकान नम्बर 5, सुखाडिया सर्किल बस स्टैण्ड के पास, श्रीगंगागनर, 7. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर जरिये सचिव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.06.2019

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक श्री जितेन्द्र पराशर द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी विनोद कुमार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के अन्तर्गत सुखाडिया सर्किल, शहर श्रीगंगानगर में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 5, पैमायशी 222 वर्गगज का आवंटन नियम विरूद्ध मानते हुए उसे निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73 के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तिया दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए वापिस लौटाई जाये। प्रार्थी के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 08.07.2014 को इस न्यायालय में धारा 73, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पेश की थी। जिसमें उसने व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 5 पैमायशी 222 वर्गगज का आवंटन नियम विरूद्ध मानते हुए रद्द करने की प्रार्थना की थी। पूर्व में उक्त धारा 73 के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम अथोरिटी/न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी विनोद कुमार बनाम नगर परिषद्, श्रीगंगानगर आदि को सक्षम अथोरिटी के समक्ष पेश करने के उक्त निगरानी वापिस लौटाई जाती है। इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। आदेश की प्रति नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर एवं नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर